कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छ.ग.)

दूरभाष 07868–241694(का.) फैक्स 223347 (का.)

—::आदेश::—

क्रमांक / 126 / स्था. / को.अ. / 2016–17 कांकेर दिनांक 13 / 01 / 2017

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक / 201 / 2537 / 2015 / स्था. / चार / दिनांक 02.03.2016 द्वारा जिला कोषालय कांकेर में सहायक गेड – III (कोष लेखा लिपिक)के रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर, जिला कांकेर द्वारा गठित चयन समिति द्वारा जारी चयन सूची के आधार पर सीधी भर्ती के तहत निम्नांकित पात्र उम्मीदवारों को सहायक ग्रेड– III पद के वेतनमान रूपये 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 तथा शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित कालम नम्बर 04 अनुसार कार्यालय में निम्न शर्तो के अधीन दो वर्ष की परिवीक्षा पर आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है :–

कमांक	उम्मीदवार का नाम पति / पिता का नाम	श्रेणी	पदस्थापना कार्यालय का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1	2	3	4	5
1	श्री चंदन कुमार नाग पिता श्री कृष्ण कुमार नाग	अनारक्षित	कार्या.उप कोषालय अधिकारी भानुप्रतापपुर जिला कांकेर (छ.ग.)	बरदेभाठा मकान नं. 92 (शिव मंदिर के पास) नेगी तालाब पो. तह. व जिला कांकेर (छ.ग.)
2	श्री आदित्य वट्टी पिता श्री नीरसिंह वट्टी	अजजा.	कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी, कांकेर (छ.ग.)	ग्राम एकता नगर ठेलकाबोड पोष्ट– गोविन्दपुर तहसील व जिला कांकेर (छ.ग.)
3	श्री पिकेश्वर धनेलिया पिता श्री बीनु राम धनेलिया	अजजा.	कार्या.उप कोषालय अधिकारी पखांजूर जिला कांकेर (छ.ग.)	ग्राम व पो. डोन्डे तहसील पखांजूर जिला कांकेर (छ.ग.) 494771

उपरोक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी :–

1. छत्तीसढ़ शासकीय सेवा अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उम्मीद्वार की सेवाऐं किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह की लिखित सूचना या उनके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी ।
2. उम्मीद्वार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तो पर देय रकम संबंधित से भू–राजस्व के बकाया की भॉति वसूली योग्य होगी ।
3. परिवीक्षा अवधि कुशलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियमित नियुक्ति मानी जावेगी ।

4. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
5. पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन) प्रमाण पत्र में यदि अपराधिक गतिविधियॉ पाई जाती है तो सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगीं । इस आशय का शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ।
6. पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र , स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जनजाति) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी / प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये बगैर सेवा से पृथक किया जावेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही भी की जा सकेगी ।
8. चयनित प्रत्याशियों को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा ।
9. चयनित उम्मीद्वार को इस आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर जिला कोषालय कांकेर में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा । अन्यथा यह मानकर कि वे इस पद पर नही आने चाहते हैं, उनकी नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा ।
10. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 980 / सी–761 / वि / नि / चार / 4 दिनांक 27.02.2004 के अनुसार नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए नयी परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी ।
11. चल अचल सम्पत्ति का विवरण नियमानुसार जिला कोषालय में प्रस्तुत करना होगा।
12. प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है ।

13/1/17

जिला कोषालय अधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 127 / स्था. / को.अ. / 2016–17 कांकेर दिनांक 13 / 01 / 2017

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर ,
2. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन इन्द्रावती भवन ब्लाक ए प्रथम तल छ.ग. रायपुर,
3. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन जगदलपुर ,
4. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर / पखांजूर,
6. उप कोषालय अधिकारी भानुप्रतापपुर / पखांजूर,
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर ,
8. जिला रोजगार अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर ,
9. सर्व संबंधित श्री / कु. ....

जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

13/1/17

जिला कोषालय अधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)